भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3836
दिनांक 17.03.2020/27 फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए

एनआरसी से बाहर किए गए लोगों को निरुद्ध करना

†3836. **सुश्री एस° जोतिमणिः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में भारतीय नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर से बाहर रखे गए लोगों के संबंध मे सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके सभी कानूनी उपायों के उपयोग के बाद निरुद्ध किया जाएगा;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों के राष्ट्रीयता सत्यापन के लिए कोई योजना/नीति/स्कीम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना/नीति/स्कीम है कि निरुद्ध केंद्रों में ऐसे व्यक्तियों को अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार शरणार्थियों के मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा करेगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना), नियम, 2003 में संलग्न अनुसूची के पैरा 8 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो असम में अंतिम भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी) को तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान दावों और आपत्तियों पर लिए गए निर्णयों के परिणामों से संतुष्ट नहीं होता है, वह ऐसा आदेश जारी होने की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर, विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के अंतर्गत गठित निर्दिष्ट अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष अपील कर सकता है और इस अधिकरण द्वारा अपील के निपटान के पश्चात, असम राज्य में भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी) में नामों को, यथास्थिति, शामिल किया जाएगा अथवा हटाया जाएगा।

असम में एनआरआईसी की अंतिम सूची से हटाए गए व्यक्तियों को अपना मामला सिद्ध करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(ख) और (ग) : विदेश मंत्रालय के सहयोग से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ऐसे किसी अवैध आप्रवासी को उसके मूल देश में निर्वासित करने से पहले उसकी राष्ट्रीयता का सत्यापन किया जाता है, जिसके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है। यह विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) : रिट याचिका (सिविल) संख्या 1045/2018- उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.05.2019 के आदेश के अनुसरण में, असम सरकार ने दिनांक 29.07.2019 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन घोषित विदेशी नागरिकों को सशर्त रिहा करने का प्रावधान किया गया है जिन्होंने डिटेंशन सेंटरों में 3 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर ली है।

(च) : भारत ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वर्तमान में, अवैध प्रवासियों (शरणार्थी होने का दावा करने वालों सहित) के मामले में (i) विदेशी विषयक अधिनियम, 1946, (ii) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, (iii) विदेशी राष्ट्रिकों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और (iv) नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को रहन-सहन का स्तर बनाए रखने और मनुष्य की गरिमा के अनुरूप बुनियादी जरूरतों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें।

****